



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED

Govt. of Uttar Pradesh Undertaking
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

सं०-667-विधि(वाद)-22/पाकालि/21-24-वीपी/00(टी०सी०)

दिनांक: 21 मार्च, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन द्वारा निर्गत विज्ञापन सं० 01/Advocate/UPPCL/2020, दिनांक 12.12.2020 के अनुक्रम में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण कम्पनियों के विरुद्ध दायरवादों की पैरवी करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को आवंटित क्षेत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से **पैनल अधिवक्ता** नामित किया जाता है:-

क्रम सं०	अधिवक्ता का नाम	बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक वादों हेतु	आवंटित क्षेत्र
1	श्री बृजेश कुमार सिंह	यू०पी० 8954/2003	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	नोएडा क्षेत्र
2	श्री गौरी शंकर यादव	यू०पी० 1102/2002	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	बुलंदशहर क्षेत्र
3	श्री राजकुमार मिश्रा	यू०पी० 8956/2012	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	गाजियाबाद क्षेत्र
4	श्री अंकित प्रकाश	यू०पी० 6204/2012	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	मेरठ क्षेत्र
5	श्री अभय नितिन सिंह	यू०पी० 05685/2013	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	मुरादाबाद क्षेत्र
6	श्री हरि भवन पाण्डेय	यू०पी० 8166/2002	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	सहारनपुर क्षेत्र
7	श्री पारस नाथ राय	यू०पी० 3389/1990	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	आगरा-1 क्षेत्र
8	श्री सचिन मिश्रा	यू०पी० 5175/2013	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	आगरा-2 क्षेत्र
9	सुश्री श्रुति मालवीय	यू०पी० 4783/2007	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	झासी क्षेत्र
10	श्री रवीश कुमार सिंह	यू०पी० 7406/2001	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	बांदा क्षेत्र
11	श्री विनय सिंह	यू०पी० 1219/2012	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	अलीगढ़ क्षेत्र
12	श्री अजीत कुमार सिंह	यू०पी० 3000/1999	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	कानपुर क्षेत्र
13	श्री अनुभव सिंह	यू०पी० 5723/2012	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	केरका
14	श्री पर्व अग्रवाल	यू०पी० 4288/2008	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	बरेली क्षेत्र
15	श्री प्रांजल शुक्ला	यू०पी० 6540/2013	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	प्रयागराज क्षेत्र
16	श्री राजेश पचौरी	यू०पी० 3340/2002	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	वाराणसी क्षेत्र
17	श्री अंकुर अग्रवाल	यू०पी० 3551/2010	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	गोरखपुर क्षेत्र
18	श्री पवन कुमार मिश्रा	यू०पी० 14823/2010	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	आजमगढ़ क्षेत्र
19	श्री उग्रसेन पाण्डेय	यू०पी० 8604/2001	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	बस्ती क्षेत्र
20	श्री रवि रंजन	यू०पी० 1266/1980	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	मिर्जापुर क्षेत्र
21	श्री समीर श्रीवास्तव	यू०पी० 9007/2001	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	वाराणसी क्षेत्र
22	श्री पंकज श्रीवास्तव	यू०पी० 3378/2005	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	प्रयागराज क्षेत्र
23	श्री अभिषेक मिश्रा	यू०पी० 2979/2006	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	मेरठ क्षेत्र
24	श्री आशीष कुमार सिंह	यू०पी० 12488/2010	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	गाजियाबाद क्षेत्र

92

Bhupendra Rai

25	श्री नीरज तिवारी	यू0पी0 6355/2004	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	आगरा-1 क्षेत्र
26	श्री रवि आनन्द अग्रवाल	यू0पी0 6663/2012	गैर-वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक	बुलंदशहर क्षेत्र

1. कोई विशिष्ट मुकदमा किसी विशिष्ट अधिवक्ता को आवंटित किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0/डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक को होगा।
2. कारपोरेशन तथा विभिन्न डिस्काम को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी पैनल अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ता को बिना नोटिस या बिना कारण बताये हटा दें।
3. कारपोरेशन की ओर से नामित अधिवक्ता कारपोरेशन के विरुद्ध किसी वाद/अपील/याचिका इत्यादि में पैरवी नहीं करेंगे।
4. पैनल अधिवक्ता को पावर कारपोरेशन/डिस्काम से सम्बन्धित वाद/अपील/याचिका/अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक बिन्दुओं पर अभिमत हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क अनुमन्य नहीं होगा।
5. नामित अधिवक्ताओं को कारपोरेशन में लागू शर्तों के अनुसार फीस देय होगी तथा किसी प्रकार का रिटेनरशिप अनुमन्य नहीं होगा।
6. कारपोरेशन व अन्य समस्त विद्युत वितरण कंपनियों के पैनल पर पूर्व से नामित समस्त अधिवक्ताओं का पैनल तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाये।
7. अधिवक्ताओं को आवंटित क्षेत्रों का परिवर्तन/निरस्त करने का अधिकार कारपोरेशन के अध्यक्ष के पास सुरक्षित है।

अध्यक्ष

सं0-667-(1)-विधि(वाद)-22/पाकालि/21 तददिनांक 21 मार्च 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को, कानपुर।
6. समस्त उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि हटाये गये अधिवक्ताओं से पत्रावलियां नवनियुक्त अधिवक्ताओं को हस्तांतरित करायें।
7. सहायक विधि अधिकारी, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिवक्ता का नाम:-
9. कट फाइल।

आज्ञा से,
Bhupendra Rai
(भूपेन्द्र राय)
एच0जे0एस0
विधि अधिकारी

